प्रशासन एवं वित्त

प्रशासन एवं वित्त

1. प्रशासन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) का गठन जनवरी, 1985 में किया गया था। विभाग में प्रशासन डिवीजन के स्थापना अनुभाग , सामान्य अनुभाग तथा सतर्कता एकक , कार्मिक, (समूह 'क') वैज्ञानिकों के लिए लागू पदोन्नति कार्य पद्धति लचीली अनुपूरक स्कीम (एफसीएस) का क्रियान्वयन, अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति, सर्तकता मामले, प्रशासनिक सुधार तन्त्र, सीजीएचएस सुविधाओं से संबंधित कार्य, कर्मचारी वेलफेयर तथा सहयोग इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान किया जाता है।

चूंकि डीएसटी और डीएसआईआर दोनों एक ही परिसर में स्थित है, और सभी समारोह जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थांपना दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस, सेवा–निवृत्ति बैठकें, सदभावना दिवस, खेलों, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम, हिन्दी पखवाड़ा, सर्तकता सप्ताह, योग दिवस आदि दोनों विभागों के सक्रिय सहयोग से एक सामान्य समारोह के रूप में मनाये जाते हैं।

1.1 कार्मिक संख्या

विभाग में स्वायत्त निकायों नामतः वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नामतः राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) तथा सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि0 (सीईएल) के अलावा 31 दिसम्बर, 2019 तक विभिन्न समूहों में स्टाफ की स्थिति का विवरण नीचे तथा अनुबंध 16 में दिया गया है।

	सामान्य	अनु. जाति	अनु.ज. जा.	ओबीसी	कुल
समूह 'क' (राजपत्रित)	28'	05	02	04	39'
समूह 'ख' (राजपत्रित)	06	04	00	00	10
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	08	00	02	03	13
समूह 'ग'	04	08	01	02	15
कुल	**46***	**17**	**05**	**09**	**77***

*संयुक्त सचिव (प्रशा.) के पद को छोड़कर जो कि नोशनल आधार पर है।

1.2 राजभाषा अनुभाग

संघ की राजभाषा के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संघ के सरकारी उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। राजभाषा अनुभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयास रत रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अनुभाग ने विभाग में और अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन में, इस अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया और सभी दस्तावेजों, रिपोर्टों, मासिक सारांश आदि को द्विभाषी जारी किया गया।
- विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें समय पर आयोजित की गई जिसमें उपयुक्त निर्णय लिए गए और उसके बाद उचित स्तर पर निगरानी की गई।
- हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित 04 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक हिंदी मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को समय पर उपलब्ध कराई गई।
- विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों – एनआरडीसी, सीडीसी, एनपीएल तथा सीईएल सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग से संबंधित निरीक्षण किए गए तथा हिंदी के प्रयोग को और–अधिक बढ़ावा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार–विमर्श किया गया।
- विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए

12.06.2019 को हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 20 लोगों ने प्रतिभाग किया।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ 09 से 20 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को प्रशंसा–पत्र के साथ–साथ नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ।

2. वित्त

डीएसआईआर के लिए वास्तविक अनुमान 2018–19, बजट अनुमान–2019–20, संशोधित अनुमान 2019–20, वास्तविक अनुमान 2019–20 (31 जनवरी, 2020 तक) तथा बजट अनुमान 2020–21 (प्रस्तावित) वाला वित्तीय सार तालिका–1 पर दिया गया है।

3. सीएजी की रिपोर्ट से उद्धरण

सीएजी की रिपोर्ट से उद्धरण अनुबंध–17 में दिए गए हैं।